

**राजस्थान सरकार**  
**वित्त (आबकारी) विभाग**

क्रमांक: प.13(5)वित्त/आब/2017 पार्ट

जयपुर दिनांक: 01/06/2026

**अधिसूचना**

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (1950 का राजस्थान अधिनियम 2) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए राज्य सरकार निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ संख्या 02 में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को इसके स्तम्भ संख्या 03 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल जोन एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से नियुक्त करती है, जिनके मुख्यालय स्तम्भ संख्या 04 में विनिर्दिष्ट स्थानों पर होंगे—


**सारणी**

क. स.	अधिकारी का पदनाम	क्षेत्र जिसका वह अधिकारी प्रभारी होगा	मुख्यालय
1	2	3	4
1	अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल जोन, अजमेर	1. राजस्व जिला, अजमेर 2. राजस्व जिला, ब्यावर 3. राजस्व जिला, नागौर 4. राजस्व जिला, डीडवाना-कुचामन 5. राजस्व जिला, टोंक 6. राजस्व जिला, भीलवाडा	अजमेर
2	अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल जोन, बीकानेर	राजस्व जिला, बीकानेर राजस्व जिला, श्रीगंगानगर राजस्व जिला, हनुमानगढ राजस्व जिला, चुरू	बीकानेर
3	अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल जोन, जयपुर (शहर)	राजस्व जिला, जयपुर	जयपुर
4	अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल जोन, जयपुर (ग्रामीण)	राजस्व जिला, अलवर राजस्व जिला, कोटपूतली-बहरोड राजस्व जिला, खैरथल-तिजारा राजस्व जिला, दौसा राजस्व जिला, सीकर राजस्व जिला, झुन्झुनू	जयपुर
5	अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल जोन, जोधपुर	राजस्व जिला, जोधपुर राजस्व जिला, फलोदी राजस्व जिला, बाडमेर राजस्व जिला, बालोतरा राजस्व जिला, जैसलमेर राजस्व जिला, पाली राजस्व जिला, जालोर राजस्व जिला, सिरोही	जोधपुर




6	अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल जोन, कोटा	राजस्व जिला, कोटा	कोटा
		राजस्व जिला,, बून्दी	
		राजस्व जिला, झालावाड	
		राजस्व जिला, बारां	
7	अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल जोन, उदयपुर	राजस्व जिला, उदयपुर	उदयपुर
		राजस्व जिला, सलूमबर	
		राजस्व जिला, चित्तौडगढ	
		राजस्व जिला, राजसमंद	
		राजस्व जिला, बांसवाडा	
		राजस्व जिला, प्रतापगढ	
		राजस्व जिला, डूंगरपुर	
8	अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल जोन, भरतपुर	राजस्व जिला, भरतपुर	भरतपुर
		राजस्व जिला, डीग	
		राजस्व जिला, धौलपुर	
		राजस्व जिला, करौली	
		राजस्व जिला, सवाईमाधोपुर	

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
 (वरुण मिश्रा)  
 संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
4. उप शासन सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
5. आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर।
6. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
7. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
8. निदेशक, निदेशालय, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जयपुर।
9. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को इस अधिसूचना को असाधारण राजपत्र के भाग 4 सी भाग II में प्रकाशित करने हेतु। कृपया बिल के साथ राजपत्र की 15 प्रतियां आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर को भेजें तथा राजपत्र की 5 प्रतियां इस विभाग को भेजें।
10. अतिरिक्त आयुक्त जोन, समस्त, राजस्थान।
11. उपायुक्त/आबकारी अधिकारी, समस्त, राजस्थान।
11. तकनीकी निदेशक, कम्प्यूटर सेल, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

  
 संयुक्त शासन सचिव